न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/329/2016

उनवान

1. गोविन्द पिता भैरू लाल बैरवा निवासी संजयनगर, बरल द्वितीय
2. रामलाल पिता नारायण लाल नंगवाडा बैरवा निवासी बिजयनगर
3. रामधन पिता हरिकिशन नायक निवासी कोठिया तहसील फूलिया कलॉ
4. प्रकाश चन्द्र पिता अम्बा लाल ढोली निवासी चांपानेरी तहसील भिनाय,
5. प्रकाश पिता गोपी लाल रेगर, निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती गायत्री पुत्री कन्हैया लाल पत्नी जगदीश खटीक निवासी हुरडा , हाल मुकाम खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. श्रीमती मन्जू पुत्री कन्हैया लाल खटीक निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमती विमला पुत्री कन्हैया लाल पत्नी लादू लाल खटीक निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती सीमा पुत्री कन्हैया लाल पत्नी सत्यनारायण खटीक निवासी हुरडा हाल मुकाम लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. श्रीमती भगवती पुत्री कन्हैया लाल पत्नी रमेश खटीक निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री कन्हैया लाल खटीक निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. जगराम पिता कन्हैया लाल खटीक निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
8. महेन्द्र पिता कन्हैया लाल खटीक निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
9. श्रीमती गणी बेवा कन्हैया लाल खटीक निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध सहायक कलक्टर, (एस डी एम) गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 02/2015 निर्णय दिनांक 22.11.2016

अधिवक्तागण :—

1. श्री पी आर चौधरी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आर एन गुप्ता, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 8
3. श्री एम एल सेन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 30.7.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने उक्त अनवान सदर का वाद पत्र अदालत में प्रस्तुत किया है जिसके निर्णय में समय लगना संभावित है । मौजा हुरडा मगरा पटवार हल्का हुरडा मगरा तहसील हुरडा के आराजी खाता संख्या 136 की आराजी नम्बर 1335 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 2021/1047 रकबा 14 बीघा 15

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिस्वा कुल किता 2 रकबा 25 बीघा आराजियात स्थित है जिस पर प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 का कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। मौजा हुरडा मगरा पटवार हल्का हुरडा मगरा तहसील हुरडा के आराजी खाता संख्या 47 की आराजी नम्बर 2020/1047 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित है जिस पर प्रार्थीया एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 का कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त आराजियात मौरूसी होकर छोगा जी के समय की है। जिसका सजरा निम्न प्रकार है :–

छोगा जी (फौत)
↓
कन्हैया लाल (फौत)
↓

मंजू	विमला	सीमा	गायत्री	भगवती	लक्ष्मी	जगराम	महेन्द्र	मु0धूणी
पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्र	पुत्र	बेवा कन्हैयालाल

खातेदार कन्हैया लाल की मृत्यु दिनांक 27.9.2014 को हो जाने से प्रार्थीया एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 उनके विधिक वारिसान है जिनकों विपक्षीगण बनाया गया है। उक्त सजरे की रूह से उक्त आराजियात प्रार्थीया व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 के पिता/पति कन्हैया लाल की आराजियात मौरूसी होने से उनका हक हिस्सा निहित होते हुए अकेले अपने नाम पर दर्ज होने से वादग्रस्त आराजियात विपक्षी संख्या 9 लगायत 13 को बेचान कर पंजीयन करा दिया । जबकि मृतक खातेदार कन्हैया लाल की मृत्यु के बाद उक्त आराजियात पर प्रार्थीया व विपक्षीगण लगायत 1 से 8 का बराबर बराबर हक हिस्से से लगातार कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है । उपरोक्त कारणों से प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 के साथ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त आराजियात में हिस्सा दर्ज कराने की अधिकारी है। और इसके लिऐ वह विपक्षीगण के विरूद्ध खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। विपक्षी संख्या 9 से 13 अपने खाते के बल पर उक्त आराजियात के सम्मिलित उपभोग में नाजायज तौर पर हस्तक्षेप करते हैं और उक्त आराजियात को अपने नाजायज प्रलोभन के आधार पर दिगर को अन्तरण व उसका पंजीयन कराने पर उतारू है और मना करने पर लडाई झगडा करते हैं और बावजूद तकाजा उक्त आराजियात में प्रार्थीया व विपक्षीगण लगायत 1 से 8 के नाम दर्ज कराने से इंकार करते हैं तथा यह रवैया दिनांक 25.12.2014 से जारी कर रखा है। विपक्षीगण का उक्त कृत्य अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरीत होने से इससे रूके रहने बाबत उनको बजरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना प्रार्थीया को अपनी आराजियात के हक उपभोग से वंचित रहकर ऐसी असंहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है । अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वे स्वयं या अन्य द्वारा प्रार्थीया के निहित हक हिस्से की आराजियात में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने कराने एवं उक्त आराजियात को दिगर को अन्तरण व उसका पंजीयन करने कराने से रूके रहें।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । प्रत्यर्थीगण 1 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से व राजकीय अधिवक्ता के उपस्थित रहने से उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया का प्रथमदृष्टया मामला साबित होना मानकर गम्भीर त्रुटि की है। अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार श्री कन्हैया लाल व अन्य होने से उनसे सद्भाविक तौर पर सप्रतिफल दिनांक 16.1.2009 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा व आधिपत्य प्राप्त किया है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट्स के नाम पर खातेदारी दर्ज होकर अपीलाण्ट्स खातेदार काश्तकार है एवं उनका कब्जा निरन्तर चला आ रहा है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्रय करने के 6 वर्ष उपरान्त प्रार्थीया को वाद पत्र लाने का कोई अधिकारनहीं था। क्योंकि अपीलार्थीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार काश्तकार द्वारा निष्पादित किया गया है जिसे निरस्त करवाने की मियाद ही समाप्त हो चुकी है। विक्रय पत्र को निरस्त करवाने बाबत कोई वाद पत्र प्रत्यर्थीया द्वारा प्रस्तुंत नहीं किया गया है। वैसे भी राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कोनिरस्त करवाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रत्यर्थीया/वादिया ने पूर्णतया मिलीभगत पूर्वक महज अपीलाण्ट के साथ धोखा करने एवं नाजायज राशि ऐंठने की गरज से झूठा दावा प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया मामला होना मानकर अपीलाण्ट्स

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के विरूद्ध राजस्व रेकार्ड की यथास्थित बनाये रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में गम्भीर त्रुटि की है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रार्थीया/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व अन्य भाई बहन जो कि विपक्षी संख्या 1 से 8 हैं उन्होंनें दुरभिसंधि एवं मिलाभगती पूर्वक दावा प्रस्तुत किया है जो कि विपक्षी संख्या 1 से 8 द्वारा प्रस्तुत स्वीकारोक्तिपूर्ण जवाब दावे से ही स्पष्ट जाहिर है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में किये गये संशोधन के पश्चात संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में पुत्री का अधिकार होना मानते हुए अपीलार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थीया के अलावा बंशी लाल विक्रेता/मृतक के वारिसान से वादग्रस्त आराजियात बाबत स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थीया के हक हिस्से तक ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण आराजियात पर स्थगन आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपूर्णीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन भी अपीलाण्ट के पक्ष में होते हुए भी रेस्पोडेण्ट के पक्ष में मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने गम्भीर त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट का कब्जा है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के प्रार्थी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी ही नहीं की जा सकती है। जहॉ तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने संबंधी आदेश का प्रश्न है कानूनन ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता है एवं जारी करने का औचित्य

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भी नहीं है। क्योंकि सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 से प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट के अधिकार वैसे ही सुरक्षित हैं। उसके लिए निषेधाज्ञा जारी कर वास्तविक स्वामी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

9. हमनें प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलाण्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकनकिया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीया/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हुरडा मगरा पटवार हल्का हुरडा मगरा तहसील हुरडा के आराजी खाता संख्या 136 की आराजी नम्बर 1335 रकबा 10 बीधा 05 बिस्वा व आराजी नम्बर 2021/1047 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 25 बीघा आराजियात स्थित है। जिस पर प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 लगायमत 8 का कब्जाकाश्त है तथा उक्त आराजी प्रार्थीया के पिता एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 के पिता/पति कन्हैया लाल की आराजियात होकर मौरूसी आराजियात थी जिसमें प्रार्थीया का एवं विपक्षी संख्या 1 से 8 का हक हिस्सा निहित होते हुए भी मृतक खातेदार कन्हैया लाल जी ने बेचान कर दिया। जबकि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से खातेदार कन्हैया लाल जी को प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 8 के हक हिस्से का विक्रय करने का उन्हें अधिकार नही था ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी की फोटो प्रति संवत 2047 से 2050 में आराजी नम्बर 173, आराजी नम्बर 1047 एवं आराजी नम्बर 1335 छोगा पिता नन्दा खटीक के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसका विरासत से इन्तकाल नामान्तरकरण संख्या 771 से छोगा के बजाय कन्हैया लाल पिता छोगा एवं छग्गु व कन्नी बेवा बंशी खटीक के नाम दर्ज किया गया । आराजी नम्बर 2020/1047 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का कन्हैया लाल पुत्र छोगा खटीक एवं श्रीमती छग्गू उर्फ चकू बेवा बंशी लाल खटीक व श्रीमती कनी बेवा बंशी लाल खटीक के पॉवर ऑफ एटोनी होल्डर श्री कन्हैया लाल पुत्र छोगा ने केता प्रकाश पुत्र गोपी लाल रेगर एवं राम लाल पुत्र नारायण नंगवाडा को दिनाक 20.मार्च 2012 को विक्रय किया। इसी प्रकार द्वितीय विक्रय पत्र श्री कन्हैया लाल पुत्र छोगा खटीक, एवं श्रीमती छग्गु पत्नी बंशील लाल खटीक तथा कन्नी पत्नी बंशीलाल खटीक द्वारा अपीलार्थीगण गोविन्द पुत्र भैरू लाल बैरवा, रामलाल पुत्र नारायण लाल नंगवाडा, रामधन पुत्र हरीकिशन नायक एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र अम्बा लाल ढोली को आराजी नम्बर आराजी नम्बर 1335 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा का विक्रय दिनांक 16.1.2009 को किया गया । तृतीय विक्रय पत्र दिनांक 16 जनवरी 2009 को खातेदार श्री कन्हैया लाल पुत्र छोगा खटीक, एवं श्रीमती छग्गु पत्नी बंशीलाल खटीक तथा कन्नी पत्नी बंशीलाल खटीक द्वारा अपीलार्थीगण गोविन्द पुत्र भैरू लाल बैरवा, रामलाल पुत्र नारायण लाल नंगवाडा, रामधन पुत्र हरीकिशन नायक एवं प्रकाश चन्द्र पुत्र अम्बा लाल राव को आराजी नम्बर 1975/1047 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा का किया गया । जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत 2063 से 2066 में किया जा चुका है। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर आया है कि जिस वादग्रस्त आराजियात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर स्थगन चाहा है वह सम्पूर्ण आराजियात प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया के पिता कन्हैया लाल खटीक की नहीं होकर 1/2 हिस्सा कन्हैया लाल एवं 1/2 हिस्सा श्रीमती छग्गु पत्नी बंशीलाल खटीक तथा कन्नी पत्नी बंशीलाल खटीक का रहा है। वादग्रस्त आराजियात तत्कालीन खातेदार कन्हैया लाल पुत्र छोगा खटीक, एवं श्रीमती छग्गु पत्नी बंशी लाल खटीक तथा कन्नी पत्नी बंशीलाल खटीक द्वारा अथवा पॉवर ऑफ एटोनी होल्डर द्वारा विक्रय की गई है। वादग्रस्त आराजियात में प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया के पिता कन्हैया लाल का वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हक हिस्सा निहित था।

11. राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने सें बंशीलाल का वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्सा निहित होना जाहिर आया है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजियात पर स्थगन चाहा है। शेष वारिसान को विपक्षीगण के रूप में संयोजित किया है। बंशीलाल द्वारा उसके खाते में दर्ज 1/2 भूमि को विक्रय किया गया है, जो कि प्रथमदृष्टया प्रत्यथी संख्या 1/प्रार्थीया की पुश्तैनी प्रकट होती है। यदि विवादित आराजियात को पुश्तैनी माना जाकर हक हिस्सों का निर्धारण किया जावे तो विक्रय के समय पुश्तैनी आराजियात में विक्रेता बंशीलाल को अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि को विक्रय करने का अधिकार नही था। वादग्रस्त भूमि का विक्रय वर्ष 2009 में किया गया है। इस बाबत रेस्पोडेण्ट नम्बर 1/प्रार्थीया का कथन है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में किये गये संशोधन के पश्चात संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में पुत्री का अधिकार है,परन्तु धारा 6 में अपवाद है कि यदि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि का 20.12.2004 से पूर्व कर दिया गया हो तो इस संशोधन का उन पर प्रभाव नही होगा । इसका तात्पर्य यह है कि यदि 20.12.2004 से पूर्व सम्पति का alienation हो गया है तो उस पर संशोधन का प्रभाव नहीं होगा। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात वर्ष 2009 में विक्रय की गई है ऐसी स्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक भूमि में विरासत की प्राथमिक व्याख्या में प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थीया अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के हक हिस्से अनुसार 1/9 हिस्से तक विक्रयसुदा भूमि के उपरान्त बची शेष भूमि में 1/9 वें हिस्से की उत्तराधिकारी होगी । प्रार्थीया/रेस्पोडेण्ट के उपरोक्त कथनानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के क्रम में चाहे गये अनुतोष की हद तक प्रार्थीया का प्रथमदृष्टया प्रकरण बनता है । परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण आराजियात की रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये हैं। ऐसी स्थिति में हम यह पाते हैं कि अपील के निस्तारण के क्रम में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत प्रार्थीया वादग्रस्त आराजियात में बंशी लाल के 1/2 हक हिस्से में से अपने स्वघोषित अनुतोष अनुसार ही स्थगन प्राप्त करने की इस्तदुआ कर सकती है। प्रार्थीया के अतिरिक्त अन्य अंकित विधिक वारिसान द्वारा स्थगन बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा है, अतः प्रार्थीया द्वारा चाहे अनुतोष से अधिक पर निर्णय उचित नही कहा जा सकता है। प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया गायत्री ने अपने निहित हक हिस्से की आराजियात में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति का अनुतोष चाहा है। परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में प्रथमदृष्टया प्रार्थीया का प्रकरण बनने से अप्रार्थी संख्या 9 से 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया है कि वह मौजा हुरडा मंगरा की आराजी नम्बर 1335, 2021/1047 किता 2 रकबा 25

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बीघा तथा आराजी नम्बर 2020/1047 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया वादग्रस्त आराजियात के चाहे गये अनुतोष की हद तक ही उसके पिता कन्हैया लाल के हिस्से में से प्रथमदृष्टया प्रकरण बनने पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में किये गये संशोधन के पश्चात संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में पुत्री का अधिकार होने के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रार्थीया का प्रकरण पाया जाने पर प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का जो आदेश पारित किया है वह प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया के प्रथमदृष्टया साबित हक अधिकारों के प्रतिरक्षण की हद तक विधिसम्मत है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे प्रार्थीया के निहित हक हिस्से तक ही स्थगन का आदेश पारित करते जबकि अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट होताहै कि प्रार्थीया द्वारा भी अपने हक हिस्से का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है, तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाण्टगण के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2016 में संशोधन किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अपीलाण्ट्गण /अप्रार्थी संख्या 9 से 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि वे मौजा हुरडामंगरा की वादग्रस्त आराजियात नम्बर 1335, 2021/1047, किता 2 रकबा 25 बीघा तथा आराजी नम्बर 2020/1047 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से प्रथमदृष्टया प्रकरण बनना पाये जाने से अनुतोष की हद तक प्रार्थीया की पैतृक आराजियात में बंशीलाल के नाम की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक अपीलाण्टगण के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्से में से प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया द्वारा चाहे अनुतोष की हद तक विवादित 1/2 हिस्से के 8/9 वें हिस्से के भी 1/9 वें हिस्से के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

13. निर्णय आज दिनांक 30.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

30/7/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा